न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21/2026	19.05.2026	27.05.2026

बइजलास :–चारू (आई.ए.एस.)

–:: उनवान ::–

1.प्रकाशचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी पीपल्दा तह. रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) वगैराह

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र फूलचन्दजाति अहीर निवासी पीपल्दा तह. रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) वगैराह

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

उपस्थिति :–

1. श्री शोभारम अहीर एडवोकेट :– वकील प्रार्थी
2. श्री प9दीप कुमार अहीर एडवोकेट :– वकील अप्रार्थी

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जर्ये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम पीपल्दा तहसील चेचट खसरा नम्बर 518 रकबा 0.05 है0 पर आने–जाने के लिये ख.न. 658/505 गै.मु.आबादी के दक्षिणी हिस्से पर होकर ख.न. 312 के उत्तरी भाग, ख.न. 519 व 5200 के मध्य से होकर जाता है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। जिस कारण संबंधित खातेदारान लडाई झगडा करते हैं।

अतः ख.न. 519 व 520 वाके ग्राम पीपल्दा तहसील चेचट के मध्य स्थित भूमि सम्पूर्ण लम्बाई में 20 फुट लम्बे एवं 15 फुट चौडाई की भूमि हेतु मुआवजा राषि का निर्धारण किया जाकर मुआवजा राषि का भुगतान अप्रार्थी को कराये जाने एवं रास्ते के उपयोग हेतु काम में आने वाली भूमि से सम्बंधित जमाबन्दी में इा आष्य का नोट अंकित किये जाने का आदेष प्रदान करें। तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में इसी प्रकार रास्ता दर्शित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 से 4 की तरफ से श्री प्रदीप कुमार अहीर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेष नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार चेचट से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार रामगंजमण्डी के पत्र कमांक/राजस्व/2026/66 दिनांक 07.03.2026 से पटवारी हल्का पीपल्दातथा भू अभिलेख निरीक्षक उद्पुरा की संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण नके कथन किया कि प्रार्थी के खाते की भूमि ग्राम पीपल्दा तहसील चेचट में खसरा नम्बर 518 रकबा 0.05 है0 पर आने–जाने के लिये ख.न. 658/505 गै.मु. आबादी के दक्षीणी हिस्से पर होकर ख.न. 312 के उत्तरी भाग, ख.न. 519 व 5200 के मध्य से

Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

होकर प्रयोग किया जाता है। यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। जिस कारण संबंधित खातेदारान लडाई झगडा करते हैं। अतः ख.न. 519 व 520 वाके ग्राम पीपल्दा के मध्य स्थित भूमि सम्पूर्ण लम्बाई में 20 फुट लम्बे एवं 15 फुट चौडाई प्रार्थी को रास्ता दिया जावे। प्रार्थीगण इसके लिये अप्रार्थीगण को मुआवजा के रूप में जो भी राशि बनती है नियमानुसार वह भुगतान करने को तैयार है। इसके विपरित वकील अप्रार्थी ने इसका पुरजोर विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र को झूठे तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया गया। मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार चेचट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर सम्यक विचार किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चेचट दिनांक 25.02.2026 ग्राम पीपल्दा के खसरा नं. 518 रकबा 0.05 हेक्टयर प्रकाशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति अहीर खातेदार दर्ज रिकार्ड है व ख.न. 519 रकबा 0.06 है0 अमृतलाल पुत्र भवाना हि. 1/24 जाति अहीर सा. देह वगैराह के खाते दर्ज रिकार्ड है। ख.न. 520 रकबा 0.28 है0 किस्म बारानी तृतीय अनिल कुमार पुत्र फूलचन्द हिस्सा 3/20जाति अहीर सा. देह वगैराह के खाते दर्ज रिकार्ड है।

मौके पर ख.न. 519 की पूर्वी मेंड तथा ख.न. 520 की पश्चिमी मेंड के मध्य लगभग 16 फिट का रास्ता है। जो कि सम्पूर्ण रास्ता मुताबिक ग्राम वासियान खन. 520 की आराजी का ही भाग है। ख.न. 519 की उत्त्री दिशा के बाद 520 के खातेदारान के द्वारा कोट कर रास्ता अवरूद्व कर रखा है। ख.न. 518 तक जाने के लिए ख.न. 520 के खातेदारों द्वारा अवरूद्व रास्ते को हटाया जाकर लगभग 16 फिट गहराई में जाकर ख.न. 518 पर पहुचा जा सकता है। इस प्रकार ख.न. 519 के उत्तरी सीमा के कोने से 16 X 16 फिट की भूमि ख.न. 520 की रास्ते हेतु दी जाकर खन. 518 के खातेदारों को अनुतोश दिया जा सकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार चेचट की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपने खाते की भूमि तक पहुचने के के लिए यहां पर रास्ते के लिए मांग किया जाना प्रार्थी की नितान्त आवष्यकता है, ना कि सुविधा।

अतः गुणावगुण के आधार पर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नं. 518 रकबा 0.05 हेक्टयर पर पहुंच मार्ग हेतु ख.न. 519 के उत्तरी सीमा के कोने के लगवां ख.न. 520 में से 16 X 16 फिट (लम्बाई X चौडाई में) राजस्व रेकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे।साथ ही क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नम्बर खसरा नम्बर 520 केखातेदार को उसकी भूमि के लगवां प्रार्थी की भूमि में से कम कर अप्रार्थी के खाते में मर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Che

चारू (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

कार्यालय ... अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)